

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

// आदेश //

/ क्रमांक / 348 / मान्यता / अनुमति / 2019-20

अम्बिकापुर, दिनांक- 16-01-2020

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधिन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2019 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ परवातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण उपरांत मैं विद्यालय का नाम मोन्ट फोर्ट स्कूल सरगुजा, अम्बिकापुर दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 तक के लिए जो कक्षा नर्सरी से आठवीं तक प्रभावशील रहेगा अर्थाई (संशर्त) मान्यता प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है:-

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा 8 के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 (एनेक्तर 1) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 (एनेक्तर 2) विद्यालय के लिए बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. शोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता-पिता का या पालकों का स्कीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में, साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-
 - (i) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियत 23 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
 - (vi) शिक्षक कानून के खण्ड 23 (i) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्त किए जाते हैं। 05 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।
 - (vii) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के खण्ड 23 (2) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप-नियम (i) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।
 - (viii) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (i) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।


MANAGER
Montfort School, Montfort Nager
Godhanpur, Ambikapur-497001
Surguja (Chhattisgarh)


Principal
Montfort School, Surguja
Sakola Post, Ambikapur, Surguja
Chhattisgarh - 497001

Scanned by CamScanner

- (IX) विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यवर्षा के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
8. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
 9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधाएं निम्नानुसार हैं-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल/कुल निर्माण का क्षेत्रफल/खेल के मैदान का क्षेत्रफल/अध्यापन कक्षाओं की संख्या/प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष/बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/पेयजल सुविधा/मध्याह्न भोजन पकाने हेतु किचन/बाधारहित पहुँच/शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकुद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय के बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएंगे।
 11. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जावेगा।
 12. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
 13. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
 14. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
 15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड नम्बर है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे अंकित किया जाए।
 16. विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
 17. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाए।
 18. अन्य शर्तें एनेक्सर 3 के अनुसार संलग्न हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी

अम्बिकापुर, सरगुजा

अम्बिकापुर, दिनांक- 16.01.2020

पृष्ठों/कमांक/ 349 /मान्यता/अनुमति/2019-20
प्रतिलिपि-

1. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
2. प्रबंधक/अध्यक्ष, मोन्टफोर्ट स्कूल सरगंवा को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी

अम्बिकापुर, सरगुजा

Bro Gabriel
MANAGER
Montfort School, Montfort Nager
Godhanpur, Ambikapur-497001
Surguja (Chhattisgarh)

[Signature]
Principal
Montfort School, Sargawan
Sakale Post, Ambikapur, Surguja
Chhattisgarh - 497001